



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष.॥ / मदसविवि / 2026 /

दिनांक:

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी,
मदस विश्वविद्यालय कैम्पस,
अजमेर एवं
प्राचार्य,
मदस विश्वविद्यालय अजमेर से सम्बद्धता
प्राप्त समस्त महाविद्यालय

विषय :- विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ओटीआर
(One Time Registration) को अनिवार्य किये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक
F9(4)/AY25-26/Sc/06732-6850525 PG(6)8661327 dated 01-01-2026

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक F9(4)/AY25-26/Sc/06732-6850525 PG(6)8661327 dated 01-01-2026 के अनुसार शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थी के स्तर से संलग्नानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

- sd -


कुलसचिव

दिनांक: 24-1-26

क्रमांक: एफ.14()शैक्ष.॥ / मदसविवि / 2026 / 3396-398

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. कुलगुरु सचिवालय, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
2. वेब-एडमिनिस्ट्रेटर, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. निजी सहायक कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।


उप कुलसचिव(शैक्ष.॥)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर



DR(A-II)
2-1-26

क्रमांक : F 9(4)/AY25-26/Sch/06732-6850525 PF(6)8661327

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

स्मरण पत्र

1. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
2. संस्था प्रधान, राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।

विषय : विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में OTR (One Time Registration) को अनिवार्य किये जाने के संबंध में।
प्रसंग : विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.12.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों द्वारा OTR (One Time Registration) किया जाना अनिवार्य किया गया है।
विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट <https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/login-page> अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना अनिवार्य होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है।

इस हेतु शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थी के स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

शिक्षण संस्थान के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही :-

- शिक्षण संस्थान से एक नोडल अधिकारी नामित कर विद्यार्थियों के बैंक खाते को Aadhar seeded/DBT enabled कराने संबंधी कार्यवाही नियमित रूप से करवाई जानी सुनिश्चित करें।
- शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों का <https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/login-page> अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) करवाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थी के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही :-

- विद्यार्थी द्वारा बैंक में संपर्क कर बैंक खाते को Aadhar seeded एवं DBT enabled करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट <https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/login-page> अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त निर्देशों के अनुसार आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों का संबंधी कार्य शीघ्र करावें, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन तथा भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।

संलग्न : OTR (One Time Registration) प्रक्रिया

Signature Not Verified

Digitally Signed by Naseem Khan

अतिरिक्त निदेशक: Additional Director

Date: 2026.01.01 15:31:02 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19657527



क्रमांक : F 9(4)/AY25-26/Sch/06732-6850525 PF(6)8661327

दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, जयपुर।
3. सं. निदेशक/उप निदेशक/सहा. निदेशक/जि.प.एवं स.क.अधि., सान्याअवि, जिला समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.01 16:31:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19657527